of the guidelines has been shredded today. I requested yesterday also. Please go through that Report of the Ethics Committee. It has been uploaded on your systems. If you go through the same, you will get energised. This is not the kind of discourse we should be having. We have to ensure that we make our point in a manner, which is not inflammatory. This is number one. Number two, with respect to the proceedings of the House, whether a Member can project something outside, is an issue which I will decide. Input may be given by both the hon. Minister and Mr. Sanjay Singh. Looking at the importance of the matter, you can give your input by Monday noon. I will decide on it so that hon. Members know as to how we conduct ourselves in the House and how we relate proceedings of the House outside.

---

## PRIVATE MEMBERS' BILLS

### The Constitution (Amendment) Bill, 2022 (amendment of Article 16) - *Contd.*

MR. CHAIRMAN: I had the great painful decision making process involved when Rajani Ashokrao Patil ji, with respect to proceedings of the House, had to be suspended. In detail, I have given that. The Privileges Committee has imparted an order to that effect. Hon. Members may go through that also. Now, let Mr. Dangi, who will maintain sobriety and composure but will have his say. Listen to him. If you do not agree with him, it is your right. If he says something, which is outrageously wrong, you can take recourse to Breach of Privilege but you cannot interrupt. If he says something which is impermissible, interruptions will be further impermissible. Please go ahead. Take care of the sentiments of the House also.

**श्री नीरज डांगीः** सर, मैंने तो सेंटिमेंट्स का बहुत ध्यान रखा, लेकिन ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति**: अब आप अपनी बात कहिए, आपके लिए समय बहुत कम है। ...(**व्यवधान**)...You may continue.

**श्री नीरज डांगीः** सभापति महोदय, जातीय जनगणना के अलावा इस बिल को लेकर एक और चैलेंज निजीकरण का भी है। निजी क्षेत्र ने जब से सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में प्रवेश किया है, उसे संचालित किया है, तब से उसमें यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के मौलिक अधिकारों की रक्षा का क्या सूत्र रहेगा, किस तरह से उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाएगा। यह भी बहुत आवश्यक कदम इस बिल के अंदर लिया

जाना है। मैं समझता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में जब हम बात करें तो कुछ एफर्मेटिव एक्शंस की नीतियों का कानूनी आधार संविधान में पाया जाना चाहिए। संविधान सरकार के विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचकों के लिए एक योजना तैयार करता है और आर्टिकल 15 एवं 16 राज्य को महिलाओं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातीय समुदायों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूँगा कि जब हम बैकलॉग की बात करते हैं, तो आज की तारीख में आरक्षित पदों की हजारों रिक्त पदों की बैकलॉग है। बड़े-बड़े मंत्रालयों के अंदर भी रिक्तियाँ पूरी नहीं हुई हैं। बैकलॉग की सुध लेने के लिए किसी प्रकार की कोई नोडल एजेंसी भी नियुक्त नहीं हुई है। जब हम बैकलॉग की बात करते हैं, तो मंत्रालयों के अलावा आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट्स में भी भारी बैकलॉग है। अगर हम आंकड़ों पर बात करें, तो आईआईएम अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, कोझीकोड, इंदौर, लखनऊ और शिलाँग की फैकल्टीज़ में जनरल फैकल्टीज़ 524 पदों की हैं, वहीं ओबीसी की मात्र छः, एससी की मात्र तीन और एसटी की ज़ीरो फैकल्टीज़ हैं। ये आँकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि बैकलॉग को लेकर किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं। उसे भी पूरा किया जाना चाहिए।

मैं कहना चाहूँगा कि आज की परिस्थितियों में जहाँ आरक्षण की बात आती है, तो चाहे सवर्ण हो या कोई भी जाति हो, हर जाति आरक्षण की मांग कर रही है। ऐसे में, ग्रामीण अंचलों में रहने वाली जो पिछड़ी जातियां हैं, जो वंचित जातियां हैं, उन्हें उनका जो हक मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसी जातियां भी हैं, जिन्हें आरक्षण तो मिला है, परंतु सरकार की ओर से सुध न लेने की वजह से नौकरियों में और अन्य कार्यों में उनकी भागीदारी नहीं हो पाई है। मैं यहां इस वक्त यही कहना चाहूंगा कि जब हम इन वर्गों की बात करते हैं, तो कई बार इनके विकास के लिए आरक्षित की गई धनराशि का उपयोग भी दूसरी योजनाओं के काम में ले लिया जाता है, जो नहीं होना चाहिए। सरकार को निजी क्षेत्र की सभी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी समुदाय को आरक्षण देने पर भी विचार करना चाहिए, जिससे उन्हें समृद्ध बनाया जा सके। सरकार का लक्ष्य यही होना चाहिए कि समाज के अंतिम छोर पर बैठा जो व्यक्ति है, जो वंचित जाति है, उसे मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। इन जातियों के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाना चाहिए।

सर, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हम अभी बात कर रहे हैं, तो अभी यह चर्चा हो रही थी कि एक आदिवासी महिला हमारी राष्ट्रपति हैं। इस सदन के भवन के इनॉग्रेशन के टाइम पर उन्हें आमंत्रण देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया है, तो हमारे ऊपर इस तरह का एलिगेशन नहीं लगाया जाना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति**: आप विषय पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

**श्री नीरज डांगी**: यह एलिगेशन वहां से आया है, इसलिए मैं अपनी बात को रख रहा हूं। ऐसे में, यह सोचना चाहिए कि जब मैं यहां बोल रहा हूं, तो मैं भी एक दलित वर्ग से आता हूं, मुझे भी बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। पता नहीं, मैंने ऐसा क्या कह दिया! ...(**व्यवधान**)... मैंने जो बात यहां रखी है, वह बात रखी है, तर्क के साथ रखी है, सत्यता के साथ रखी है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति**: प्लीज़, आप अपनी बात कहें।

**श्री नीरज डांगी**: इसलिए ऐसे में हम लोग चाहेंगे कि यहां जब आरक्षण की बात आ रही है, तो यह भी देखना चाहिए कि 50 फीसदी का जो गैप है, उसको भी कैसे हटाया जाना चाहिए, उसमें राज्यों को कैसे शामिल किया जाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि 27 प्रतिशत और 22.50 प्रतिशत का जो मामला है, उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। इन पर बात की जाए और इसको, जैसा कि मैंने निजी क्षेत्र की बात कही, उसमें भी इसका समायोजन होना चाहिए। मैं समझता हूं कि...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Please take your seat. Time is over. Hon. Members, as the time for Private Members' Legislative Business was till 4.30 p.m., we may now resume the General Discussion on the Union Budget. माननीय श्री गुलाम अली जी, आप बजट पर बोल रहे थे, बजट पर बोलने के लिए आपका जो समय बचा है, उसका उपयोग करें।

---

## GENERAL DISCUSSION

### #The Union Budget, 2024-25 - *Contd.*
### &
### #The Budget of Union Territory of Jammu & Kashmir, 2024-25 - *Contd.*

**श्री गुलाम अली** (नामनिर्देशित): डिप्टी चेयरमैन सर, शुक्रिया। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। भारत की वज़ीर-ए-ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण जी ने जो यूनियन बजट 2024-25 पेश किया और इसके साथ-साथ जम्मू-कश्मीर का जो बजट है, दोनों को लोक सभा और राज्य सभा में कंसिडरेशन के लिए रखा है, मैं उनके सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जम्मू-कश्मीर में मोटे तौर पर बजट को enhance किया है और वहां जीडीपी बढ़ी है। सर, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही है कि जम्मू-कश्मीर की सवा करोड़ के करीब population है, लेकिन उसका जो employees का ratio है, वह बिहार जैसे बड़े स्टेट के बराबर है। इसके साथ ही वहां पुलिस के लिए स्पेशल

---

# Discussed together.